न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

रिवीजन क्रमांक :-

प्रस्तुति दिनांक

1. हल्ले उम्र 65 वर्ष आत्मज देवी प्रसाद पटेल

2. रामचरण उम्र 80 वर्ष (फौत) आत्मज देवीप्रसाद पटेल

विधिक वारसान

माधव प्रसाद पटेल उम्र 52 वर्ष बल्द स्व. रामचरण पटेल (पुत्र)

दोनों साकिन जटाशंकर एवं कंकालीमाता मंदिर के बीच में दमोह

तहसील व जिला दमोह म.प्र.

—— रिवीजनकर्ता

बनाम

धर्मेन्द्र दुबे पिता उमाशंकर दुबे

साकिन चौपरा रैयतवारी तहसील व जिला दमोह

—— उत्तरवादी

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा :- 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह 2 तहसील व जिला दमोहद्वारा रा.प्र.क्र. 13अ/12 वर्ष 2016-17 मैंकियेगये अविधिक सीमांकन अभि-प्रमाणित आदेश दिनांक 12.07.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उद्भूत .....

महोदय,

रिवीजनकर्ता प्रार्थना करता है :-

अ. उत्तरवादी/आवेदक ने राजस्व. निरीक्षक महोदय दमोह 2 के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि मौजा दमोह खास प.ह.नं. 16 स्थित भूमि खसरा नं. 1386/94 रकबा 0.008 हे. राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिसकी सरहदी सीमाएं सही नहीं हैं अतः भूमि का सीमांकन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3381

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा ग्राम दमोह खास प0ह0नं0 16 स्थित भूमि खसरा नं. 1386/94 रकवा 0.008 हे. भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल दमोह-2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक क्र. 1 एवं अन्य सरहदी कृषकों को सूचना उपरांत हल्का पटवारी एवं दल के साथ विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	